सामाजिक न्याय में पंचायती राज व्यवस्था की भूमिका : एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

सत्र- 2021-2022

लघुशोध प्रबंध

मास्टर ऑफ लॉ (एल एल. एम चतुर्थ सेमेस्टर) की उपाधि हेतु प्रस्तुत

शोध निर्देशक

डॉ. मिलेन्द्र सिंह
सहायक प्राध्यापक
(विधि विभाग)

शोधकर्ता

प्रीति एक्का
एल एल. एम. चतुर्थ सेमेस्टर
(विधि विभाग)
रोल नंबर - 15482
नामांकन क्रमांक - A-14/1194

अनुसंधान केन्द्र
विधि विभाग

12/9/22

राजीव गाँधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
अम्बिकापुर,सरगुजा (छ.ग.)

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मैं कु. प्रीति एक्का आ0 श्री प्रेम कुमार एक्का लघुशोध प्रतिवेदन जिसका विषय ''सामाजिक न्याय में पंचायती राज व्यवस्था की भूमिका : एक विश्लेषणात्मक अध्ययन'' है मेरे निर्देशन एवं मार्गदर्शन में पूर्ण किया गया है। यह लघुशोध कार्य, इनका मौलिक कार्य है।

लघुशोध निर्देशक

डॉ. मिलेन्द्र सिंह
सहायक प्राध्यापक (विधि विभाग)
राजीव गाँधी शासकीय स्नातकोत्तर
महाविद्यालय अम्बिकापुर सरगुजा(छ.ग.)

विषय-सूची

सामाजिक न्याय में पंचायती राज व्यवस्था की भूमिका : एक विश्लेषणात्मक अध्ययन।

अध्याय-1 भारत में पंचायती राज व्यवस्था का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

1.1 प्रस्तावना
1.2 पंचायती राज, गांव, ग्रामीण संरचना, सभा, समिति।

अध्याय-2 पंचायत राज व्यवस्था में ग्राम सभा का महत्व एवं आवश्यकता का अध्ययन, पंचायतों की स्थापना एवं निर्वाचन के संचालन का अध्ययन।

2.1 ग्राम सभा सदस्यों के अधिकार एवं जिम्मेदारियां
2.2 ग्राम सभा की बैठक व कार्यवाही।
2.3 ग्राम सभा के संबंध में अधिसूचना।
2.4 ग्राम के मतदाता सूची।
2.5 ग्राम के मतदाताओं का रजिस्टकरण।
2.6 ग्राम सभा का सम्मेलन।
2.7 ग्राम सभा शक्तियों और कृत्य तथा उसका वार्षिक सम्मेलन।
2.8 पंचायतों की स्थापना एवं निर्वाचन के संचालन का अध्ययन।
2.9 पंचायतों का गठन।
2.10 पंचायतों की अवधि।
2.11 सरपंच के पद की पदावधि तथा पंचायत का कार्यकाल।
2.12 ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत की स्थापना।
2.13 पंचायतों के निगमन।
2.14 सरपंच एवं उप सरपंच का निर्वाचन।
2.15 सरपंच और उप सरपंच के विरूद्ध अविश्वास का प्रस्ताव।
2.16 ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों का वापस बुलाया जाना।
2.17 निर्वाचन का संचालन।
2.18 राज्य निर्वाचन आयोग की शक्तियॉ
2.19 नियम बनाने की शक्ति।

अध्याय-3 पंचायतों के कामकाज का संचालन तथा पंचायतों की सम्मेलन की प्रक्रिया का अध्ययन, पंचायतों के कृत्य, उनकी शक्तियाँ एवं पंचायत व्यवस्था।

3.1 प्रस्तावना
3.2 पंचायत द्वारा अन्तिम रूप से निपटाये गये विषय पर पुनर्विचार।
3.3 ग्राम पंचायत की स्थायी समितियॉं।
3.4 जनपद पंचायत और जिला पंचायत की स्थायी समितियॉं।
3.5 त्यागपत्र।
3.6 सदस्य या सभापति के निर्वाचन की विधिमान्यता के संबंध में विवाद।
3.7 पंचायतों की कृत्य।
3.8 ग्राम पंचायत के अन्य कृत्य।
3.9 जनपद पंचायत के कृत्य।
3.10 राज्य सरकार के कतपय कृत्यों का जनपद पंचायत या जिला पंचायत को सौंपा जाना।
3.11 जिला पंचायत के कृत्य।
3.12 स्पष्टीकरण।
3.13 पंचायतों के कृत्यों के संबंध में राज्य सरकार की शक्तियॉं।
3.14 ग्राम पंचायत की शक्तियॉं।
3.15 दोनों का परिनिर्माण पर नियंत्रण।
3.16 जनपद पंचायत में निहित सड़कों और भूमियों पर अतिक्रमण।
3.17 समझौता करने की शक्ति।
3.18 पंचायत व्यवस्था।
3.19 पंचायत व्यवस्था के संबंध में प्रावधान।
3.20 पंचायती राज व्यवस्था का विकास
1. बलवंत राय मेहता समिति।
2. अशोक मेहता समिति।
3. जी0वी0 के0 राव समिति।
4. एल0एम0 सिंघवी समिति।
5. थुंगन समिति।
6. गाडगिल समिति।

3.21 पंचायती राज व्यवस्था का संवैधानिकरण

अध्याय-4 अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों के लिए विशिष्ट उपबंधों का अध्ययन एवं पंचायतों के लिए ग्राम सभा एवं व्यवस्था से संबंधित नियम।

4.1 संक्षिप्त नाम।

4.2 परिभाषा।

4.3 संविधान के भाग–9 का विचार।

4.4 संविधान के भाग–9 के अपवाद और उपान्तरण।

4.5 विद्यमान विधियों और पंचायतों का बना रहना।

4.6 बैठक में जनजातियों के प्रतिनिधियों की प्रमुख मांग।

4.7 पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम 1996।

4.8 अधिनियम की विशेषताएं।

4.9 ग्राम सभा क्या होती है?

4.10 स्थानों का आरक्षण।

4.11 ग्राम सभा का सम्मेलन।

4.12 सम्मेलन की तारीख समय तथा स्थान।

4.13 सम्मेलन की सूचना देने की रीति।

4.14 ग्राम सभा के समक्ष रखे गये अभिलेखों का निरीक्षण।

4.15 उपस्थिति रजिस्टर

1. कार्यवृत्त पुस्तक
2. निरसन

4.16 ग्राम सभा का गठन

1. एक से अधिक ग्राम पंचातयों, ग्राम सभाओं के गठन की प्रकिया।
2. ग्राम सभा का सम्मेलन।
3. ग्राम सभा के सम्मेलन की तारीख, समय व स्थान।
4. ग्राम सभा के सम्मेलन की सूचना देने की रीति।
5. गणपूर्ति।

4.17 ग्राम सभा के सम्मेलन की अध्ययक्षता।

1.उपस्थिति रजिस्टर।

2.कार्यवृत्त अभिलेख।

3.ग्राम सभा के समक्ष रखे गये अभिलेखों का निरीक्षण।

4.निरसन एवं व्यावृत्ति।

4.18 व्यवस्था से संबंधित नियम

1. बाजारों की स्थापना।

2..बाजारों की सीमाएं
3. बाजार की विस्थापना।
4. आबंटित स्थान पर कारबार का किया जाना।
5. कारबार के घण्टे तथा दिन।

4.19 ग्राम पंचायत–

1. संकमण रोग से पीडित व्यक्तियों को अनुज्ञा
2 .वाहन आदि अधिक समय तक नहीं खड़े रहेगें।
3. बैलगाडी, पशुओं या वाहनों के ठहरने के लिए स्थान।
4. बाजार तथा मेल अधीक्षक।
5. बाजार अधीक्षक की शक्तियॉ।
6. बाजार को क्षेत्रों में विभाजित करने की शक्ति।
7. नियम 5, 6, 8 तथा 9 का भंग।
    1. सार्वजनिक बाजार या सार्वजनिक मेले का विनियम।
    2. निरसन।
    3. सरकारी भूमियों का प्रबंध।
    4. अन्य प्रयोजन के लिए सरकारी भूमि का उपयोग।
    5. राज्य सरकार के अभिकरण द्वारा सरकारी भूमि का प्रबंध।
    6. सरकारी भूमि का व्ययन।

4.20 सरकारी भूमि को लागू होने वाले अन्य उपबंध

अध्याय- 5 ग्रामीणो को प्राप्त सामाजिक न्याय व्यवस्था एवं ग्राम न्यायालय से सम्बधित विधिया।

5.1 सामाजिक न्याय
5.2 सामाजिक न्याय के सिद्धान्त
5.3 सामाजिक न्याय के मुद्दे
5.4 सामाजिक न्याय के प्रावधान्
5.5 सामाजिक सुरक्षा
5.6 सामाजिक न्याय के तत्व
5.7 सामाजिक न्याय के महत्व
5.8 सामाजिक न्याय की स्थापना
5.9 ग्राम न्यायालय के सम्बधित विधिया
    1. ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 कमांक 4 सन् 2009

2. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ
3. परिभाषाएं
4. ग्राम न्यायालयो की स्थापना
5. ग्राम न्यायालयो के मुख्यालय
6. न्यायाधिकारी की नियुक्ति के लिये अर्हताएं
7. न्यायाधिकारी का वेतन भत्ते और सेवा के निबंधन और शर्तो
8. ग्राम न्यायालय की मुद्रा

5.10 ग्राम न्यायालय की अधिकारिता
1. दांडिक अधिकारिता
2. सिविल अधिकारिता

5.11 अनुसूचियो का संशोधन करने की शक्ति
1. अनुसचिवीय अधिकारियों के कर्त्तव्य

5.12 दांडिक विचारण में अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव
1. ग्राम न्यायालय द्वारा संक्षिप्त विचारण प्रकिया का अपनाया जाना
2. ग्राम न्यायालयों में मामलों का संचालन और पक्षकरो को विधिक सहायता
3. निर्णय का सुनाया जाना

5.13 सिविल कार्यवाहियों मे अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव
1. सिविल विवादो में विशेष प्रकिया
2. ग्राम न्यायालय की डिक्रियां और आदेशो का निष्पादन
3. सिविल विवादो के सुलह और समझौते के लिये प्रयास करने का ग्राम न्यायालय का कर्तव्य
4. सुलहकारो की नियुक्ति

5.14 दांडिक मामालों में अपील

5.15 सिविल मामलों में अपील

अध्याय - 6 निष्कर्ष एवं सुझाव

6.1 पंचायती राज व्यवस्था एवं सामाजिक न्याय पर सुझाव

6.2 निष्कर्ष

भारत में भ्रूण हत्या के कारण एवं निवारण : एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

विधि विभाग

(लघु शोध प्रबंध)

सत्र 2021-22

(एल एल. एम .चतुर्थ सेमेस्टर के अनिवार्य लघुशोध प्रबंध के परीक्षा हेतु प्रस्तुत)

शोध निर्देशक :

श्री पंकज अहिरवार

(सहा.प्राध्यापक विधि विभाग)

लघुशोध कर्ता :

पूर्णिमा दास

एल एल. एम. चतुर्थ सेमेस्टर

नामांकन क्रमांक – GAD/08/398

12/9/2022

अध्ययन केन्द्र

राजीव गाँधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय अंबिकापुर सरगुजा (छ.ग.)

संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय अंबिकापुर से सम्बद्ध

प्रमाण -पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि **पूर्णिमा दास** , एल एल. एम. (चतुर्थ सेमेस्टर) द्वारा लिखित प्रस्तुत लघु शोध कार्य **"भारत में भ्रूण हत्या के कारण एवं निवारण : एक विशलेषणात्मक अध्ययन "** कृति है जिसे इन्होने मेरे निर्देशन में सतत अध्ययनरत रहकर संत गहिरा गुरु विश्विद्यालय से सम्बन्ध राजीव गाँधी स्नातकोत्तर महाविद्यालय अंबिकापुर की एल एल. एम. की परीक्षा 2021-22 हेतु अनिवार्य चतुर्थ प्रश्न -पत्र के रूप में प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।

स्थान-अम्बिकापुर

दिनाँक 18/8/2022

शोध निर्देशक :

श्री पंकज अहिरवार

(सहा . प्राध्यापक विधि विभाग)

राजीव गाँधी शासकीय स्नातकोत्तर

महाविद्यालय अंबिकापुर सरगुजा छ . ग .

अनुक्रमाणिका

अध्याय क्र.	विषय सूची	पृष्ठ सं.
1	**प्रस्तावना**	**1-8**
1.1	विषय परिचय	2-4
1.2	साहित्य का पुनरवलोकन	4-5
1.3	शोध परिकल्पना	5
1.4	उदेश्य	5-6
1.5	शोध पद्धति	6
1.6	शोध की उपयोगिता	7
1.7	शोध अध्याय	7-8
2	**भारत में भ्रूणहत्या का कारण का अध्ययन**	**9-25**
2.1	सामान्य परिचय	10-11
2.2	राष्ट्रीय परिदृश्य	11-13
2.3	वालिका भ्रूण हत्या की उत्पत्ति	13-15
2.4	भारत में भ्रूण हत्या का जिम्मेदार	15-17

**

2.5	भारत में कन्या भ्रूण हत्या के महत्वपूर्ण कारण	17-19
2.6	भारत में भ्रूण हत्या और क़ानूनी उपबंध	19-25
3	**भ्रूण अपराध एवं अंतराष्ट्रीय विधि का अध्ययन**	**26-32**
3.1	कन्या भ्रूण हत्या निवारण अधिनियम	27
3.2	कन्या भ्रूण हत्या एवं मानवाधिकार	27-28
3.3	कन्या भ्रूण हत्या एवं अंतराष्ट्रीय प्रयास	28-32
4	**भ्रूण हत्या रोकने हेतु भारत में विधि का अध्ययन**	**33-60**
4.1	प्रसवार्थ निदान तकनीक अधिनियम 1944	34-35
4.2	गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम 1971	35-42
4.3	अपराध से जुड़े न्यायिक प्रावधान	43-49
4.4	पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट के तहत प्रतिबंधित कृत्य	49-50
4.5	पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट का क्रियान्वयन	50-51
4.6	भारतीय दंड संहिता भाग 20	51-60
5	**भ्रूण हत्या पर न्यायिक दृष्टिकोण का अध्ययन**	**61-83**
6	**निष्कर्ष एवं सुझाव**	**84-88**
संदर्भ ग्रन्थ सूची		**89-91**

**

Prisoners' condition in Jails in Chhattisgarh state: An analytical study

Dissertation report submitted at

Rajiv Gandhi Government PG College

(Department of Law)

for partial fulfilment of the academic requirements

of

Master of Laws (LL.M.)

by

Punit Gupta

Roll No. 15483

En. No.: SUP17R107

Under the supervision of

ACADEMIC GUIDE:

Mr. Brajesh Kumar

Head- Department of Law

12/9/22

PROJECT MENTOR

Mr. Pankaj Ahirwar

Faculty, Dept. of Law

RAJIV GANDHI GOVERNMENT PG COLLEGE

Ambikapur, Surguja, June/July 2022

CERTIFICATE

This is to certify that **"Prisoners' condition in Jails in Chhattisgarh state: An analytical study."** was carried out by "Punit Gupta" bearing Roll No. 15483, Enrollment No.: SUP17R107, as a part of the requirement of MBF programme. This study is being pursued under my guidance and supervision.

Signature :
Name : Mr Pankaj Ahirwar
Designation : Faculty, Department of Law
Institution : RG Govt PG College
Address : Ambikapur, Surguja

Date

June/July 2022

Table of Contents

Chapter: 1 Introduction 6
1.1 Objective of the study 7
1.2 Methodology 8
1.3 Historical Purpose of Jail and Current Jail system in India 9
1.4 The origin of prison system: 11
1.4.1 Global Background- 11
1.5 History and Emergence of Prison system: Indian perspective: - 16
1.5.1 History of Prison System In India:- 17
Chapter: 2 Review of Literature 27
Chapter: 3 Study of Prison system 36
3.1 Types of prisons:- 37
3.1.1 Supervision:- 38
3.1.2 Order and discipline:- 39
3.1.3 Oversight:- 40
3.1.4 Privatization of Prison in Western Nations:- 40
3.2 Prison Populations: A National Trends:- 42
3.3 Prisoners' rights:- 44
3.4 Alternatives to prison:- 46
3.4.1 Fines:- 46
3.4.2 Restitution:- 47
3.4.3 Other penalties:- 47
3.5 Prison System in India:- 50
1) Some of the rules are as follows: 51
3.6 Types Of Prison In India:- 51
3.6.1 Central Jail:- 52
3.6.2 District Jail:- 52
3.6.3 Sub Jails:- 53
3.6.4 Open Jails:- 53
3.6.5 Special Jail:- 54
3.6.6 Women's Jails:- 54
3.6.7 Borstal School:- 55
3.6.8 Other Jails:- 55

3.7 Functions of Prison:- 56
3.7.1 Right To Legal Aid:- 56
3.7.2 Right To Speedy Trial:- 57
3.7.3 Right Against Solitary Confinement And Protection From Torture: 58
Chapter: 4 Physical and Psychological effect of Imprisonment 60
4.1 The Bangalore Prison Mental Health Study:- 63
4.2 The Legal Framework:- 65
4.3 Loopholes in the Law and the Way Forward:- 67
4.4 Problem of Overcrowding in jail and Psychological effect on prisoners: 69
1) Over Crowding:- 69
2) Corruption:- 70
3) Unhealthy Living Conditions:- 70
4) Staff Shortage and Inadequate Training:- 71
5) Unequal treatments at prison:- 71
6) Inadequate prison Program:- 72
7) Poor Budget for Health and Care in Prison 72
8) Insufficient Legal Aid 73
9) Abuse of Prisoners: 74
10) Custodial Rape:- 74
11) Custodial Tortures /Deaths:- 75
4.5 Institutional Effects Of Overcrowding Of Jail 76
1) Death in jail : 76
2) Unsatisfactory living conditions: 77
3) Health care spending on the prisoners: 78
4) Lack of legal aid to the inmates: 79
4.6 Prisoners abuse in India: 82
4.6.1 Sexual harassment of women prisoners: 83
Chapter: 5 Measures for betterment in Prison conditions 89
5.1 Supreme Courts Directive For The Welfare Of Prisoners 90
1) The All India Prison Reforms Committee, ... 91
2) In Re: Inhuman Conditions in 1382 Prisons 92
3) Measures taken by the Judiciary to protect the prisoners from the spread of COVID-19. 92
4) Isolation of prisoners tested positive for the COVID-19 virus 93
5) Constitution of High-Powered Committee 93

6) Release of prisoners on interim bail/ furlough/ parole 94
7) Interaction with visitors through telephone 94
8) Other Measures 94
5.2 Report and Suggestions of Ministry of Home Government of India, Regarding Overcrowding in prisons- 96
5.2.1 National Scenario 96
5.2.2 Initiatives Taken By The Government Of India 97
5.2.3 Steps Taken By Various State Governments 99
5.3 Action required to be taken by state governments: 101
Chapter: 6 Condition Of Jails In Chhattisgarh: An analysis 103
According To Report Submitted by the SLSA (State Legal Services Authority), with recommendations to improve conditions of jail in Chhattisgarh 104
6.1 Overcrowding in the prisons in Chhattisgarh jails 104
6.1.1 Occupancy in Chhattisgarh's jails 104
The State of Chhattisgarh has 5 Central Jails, 12 district jails and 16 sub-jails. The details of the sanctioned strength and actual inmates in these jails are as under- 104
6.2 Prisons Act,1894 107
6.3 Undertrial Review Committee (UTRC) 108
6.4 Legal Assistance Establishment at SLSA 117
6.4 Suggestions:- 118
Chapter: 7 Conclusion and Recommendation 120
7.1 Existence of Fair Social policies- 121
7.2 Give judges greater discretion over sentencing- 122
7.3 Gaining Public Support- 122
7.4 Participation in Rehabilitation programmes- 123
7.5 Evidence-based policies responding to individual country needs- 123
7.6 Existence of Political Will- 124
7.7 Use Alternative forms of Imprisonment- 124
7.8 Increasing Prison Capacity- 124
7.9 Special Programmes for Young Offenders- 125
Bibliography 126
Web Sources: 126
Case laws- 127
Articles, Reports national and International, Media report, News articles - 128

सामाजिक न्याय की सुदृढ़ीकरण में आरक्षण व्यवस्था की भूमिका : आलोचनात्मक अध्ययन

विधि विभाग

(लघु शोध प्रबंध)

सत्र 2021-22

(एल एल. एम .चतुर्थ सेमेस्टर के अनिवार्य लघुशोध प्रबंध के परीक्षा हेतु प्रस्तुत)

शोध निर्देशक :

श्री ब्रजेश कुमार

(सहा.प्राध्यापक विधि विभाग)

लघुशोध कर्ता :

धनंजय कुजूर

एल एल. एम. चतुर्थ सेमेस्टर

नामांकन क्रमांक – GAP/08/17031

रोल न. -15474

अध्ययन केन्द्र

राजीव गाँधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय अंबिकापुर सरगुजा (छ.ग.)

संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय अंबिकापुर से सम्बद्ध

12/09/2022

प्रमाण -पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि **धनंजय कुजूर** , एल एल. एम. (चतुर्थ सेमेस्टर) द्वारा लिखित प्रस्तुत लघु शोध कार्य **"सामाजिक न्याय की सुदृढ़ीकरण में आरक्षण व्यवस्था की भूमिका : आलोचनात्मक अध्ययन"** कृति है जिसे इन्होने मेरे निर्देशन में सतत अध्ययनरत रहकर संत गहिरा गुरु विश्विद्यालय से सम्बन्ध राजीव गाँधी स्नातकोत्तर महाविद्यालय अंबिकापुर की एल एल. एम. की परीक्षा 2021-22 हेतु अनिवार्य चतुर्थ प्रश्न -पत्र के रूप में प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।

स्थान-अम्बिकापुर

दिनाँक 18/08/'22

शोध निर्देशक :

श्री ब्रजेश कुमार
(सहा. प्राध्यापक विधि विभाग)
राजीव गाँधी शासकीय स्नातकोत्तर
महाविद्यालय अंबिकापुर सरगुजा छ. ग.

अनुक्रमाणिका

अध्याय क्र.	विषय सूची	पृष्ठ सं.
1	**प्रस्तावना**	**1-20**
1.1	विषय परिचय	2-6
1.2	आरक्षण नीति	6-7
1.3	भारत में आरक्षण नीति का प्रारंभ	7-9
1.4	संवैधानिक सुरक्षा के माध्यम से आरक्षण	9-10
1.5	व्यक्तियों की समानता का सिध्दांत	10-12
1.6	साहित्य का पुनरावलोकन	12-17
1.7	शोध समस्या की पहचान तथा शोध प्रश्न का निर्धारण	17
1.8	शोध परिकल्पना	17
1.9	अध्ययन के उदेश्य	17-18
1.10	प्रस्तावित शोध पद्धति	18-19
1.11	शोध की कार्यावधि	19
1.12	शोध का उपयोगिता	19-20
1.13	शोध अध्याय	20
2	**स्वतंत्र भारत में आरक्षित वर्गों की स्थिति का अध्ययन**	**21-39**
2.1	परिचय	22-24
2.2	दलित या अनुसूचित जाति की स्थिति	24-25
2.3	दलित समाज की निर्योग्यताएँ	25-26
2.4	दलित आन्दोलन	26-27
2.5	आधुनिक भारत में निम्न जातीय आन्दोलन	27-28
2.6	अछूतोद्धार के लिए राष्ट्रीय सामाजिक संघठन द्वारा प्रयास	28-29
2.7	महाराष्ट्र में अछूतोद्धार के लिए प्रयास	29-30
2.8	तमिलनाडु में जातीय आन्दोलन	30-32
2.9	केरल में दलित आन्दोलन	32-33
2.10	पंजाब में अछूतोद्धार के लिए प्रयास	33
2.11	गांधी जी के प्रयास	33-35

2.12	अछूतोद्धार के लिए डॉ अम्बेडकर के प्रयास	35-39
3	**आरक्षण से सम्बंधित भारत में विधि का अध्ययन**	**40-62**
3.1	सामान्य परिचय	41
3.2	अनुसूचित जातियों के लिए संरक्षण	41
3.3	सामाजिक संरक्षण	41-42
3.4	आर्थिक संरक्षण	43
3.5	शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक संरक्षण	43
3.6	राजनितिक संरक्षण	43-44
3.7	73वे संसोधन अधिनियम के अंतर्गत पंचायतो के बारे में आरक्षण	44-45
3.8	अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनसुचित जनजातियो के लिए स्थानों का आरक्षण	45-46
3.9	अनुच्छेद 332 राज्यों की विधानसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियो के लिए स्थानों का आरक्षण	47
3.10	सेवा सम्वन्धी सुरक्षण	48
3.11	अस्पृश्यता अधिनियम 1955	48-50
3.12	नागरिक अधिकार संरक्षण कानून	50
3.13	जनजातियो कि स्थिति एवं उनके लिए संवैधानिक व्यवस्थाये	50-51
3.14	जनजातियो का भोगोलिक वितरण	51-52
3.15	जनजातियो की समस्याए	52-55
3.16	स्वतन्त्रता पश्चात संवैधानिक व्यवस्थाये	55-58
3.17	संविधान संसोधन अधिनियम कि प्रक्रिया में निरंतर हुए परिवर्तन का विवरण	59-62
4	**आरक्षण से सम्बंधित न्यायिक दृष्टिकोण का अध्ययन**	**63-86**
5	**निष्कर्ष एवं सुझाव**	**87-93**
संदर्भ ग्रन्थ सूची		**94-96**

भारतीय न्याय व्यवस्था का विश्लेषणात्मक अध्ययन

विधि विभाग

(लघु शोध प्रबंध)

सत्र 2021.22

(एल. एल. एम. चतुर्थ सेमेस्टर के अनिवार्य लघुशोध प्रबंध के परीक्षा हेतु प्रस्तुत)

शोध निर्देशक :

श्री पंकज अहिरवार

(सहा.प्राध्यापक विधि विभाग)

12/9/22

लघुशोध कर्ता :

रश्मि गुप्ता

एल0 एल0 एम0 चतुर्थ सेमेस्टर

अनुक्रमांक - 15486

नामांकन क्रमांक - S-14/2051

अध्ययन केन्द्र

राजीव गाँधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय अंबिकापुर सरगुजा (छ.ग.)

संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय अंबिकापुर से सम्बद्ध

प्रमाण- पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि रश्मि गुप्ता एल एल.एम चतुर्थ सेमेस्टर में एक नियमित छात्र के रूप में महाविद्यालय व विधि विभाग द्वारा लिखित **"भारतीय न्याय व्यवस्था का विश्लेषणात्मक अध्ययन"** कृति है जिसे उन्होंने मेरे निर्देशन में सतत अध्ययनरत रहकर संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय से संबद्ध राजीव गांधी स्नातकोत्तर महाविद्यालय अंबिकापुर की एल एल. एम. की परीक्षा 2021-22 हेतु अनिवार्य चतुर्थ प्रश्न पत्र के रूप में प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है ।

दिनांकः-

स्थानः- अंबिकापुर

शोध निर्देशक

श्री पंकज अहिरवार

(सहा. प्राध्यापक विधि विभाग)

राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर

महाविद्यालय अंबिकापुर सरगुजा (छ. ग.)

स क .	विषय सूची	पृष्ठ संख्या
1.	**अध्याय - 1** • भूमिका • साहित्य का पुनरावलोकन • शोध समस्या की पहचान तथा शोध पर का निर्धारण • उद्देश्य • प्रस्तावित कार्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान • प्रस्तावित शोध पद्धति • शोध परिकल्पना • शोध रूपरेखा / संभावित अध्याय	1-7
2	**अध्याय -2** **भारतीय न्याय व्यवस्था का इतिहास एवं वर्तमान** • प्रस्तावना • ऐतिहासिक पृष्ठभूमि -1600- 1765 [अंग्रेजों का भारत आगमन -1765-1858 ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना] -1858-1919 [कंपनी शासन का अंत] -1919-1947 [स्क्शालन का आरंभ) -1947- 1950[संविधान की रचना]	8-37
3.	**अध्याय-3** **भारतीय न्याय व्यवस्था में स्थानों की संरचना भारतीय संविधान एवं मानवाधिकार** • सर्वोच्य न्यायालय • उच्च न्यायालय • अधीनस्थ न्यायालय → **भारतीय संविधान एवं मानवाधिकार** • राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग • भारत में मानवाधिकारों की स्थिति • मानवाधिकारों के प्रकार	38-55
4.	**अध्याय-4** **न्यायालय की स्वतंत्रता पर दृष्टिकोण न्याय व्यवस्था का समाज पर असर स्वं योगदान** • परिचय	56-61

	• "हमें स्वतंत्र न्यायपालिका क्यों चाहिये ? • न्यायपालिका की स्वतंत्रता • न्याय व्यवस्था का समाज में असर एवं योगदान • सुरक्षा कानूनों का क्रियान्वयन • निष्कर्ष	
5.	**अध्याय-5** **न्यायिक सक्रियता का अर्थ एवं योगदान, पुनरीक्षण एवं पुनर्विलोकन, जनहित याचिका उपसंहार एवं निष्कर्ष** • न्यायिक सक्रियता • न्यायिक समीक्षा एवं न्यायिक सक्रियता • न्यायिक शक्ति का औचित्य • न्यायिक सक्रियता बनाम न्यायिक, संयम • जनहित याचिका • जनहित याचिका के विषय क्षेत्र • न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ एवं आधार • न्यायिक पुनर्विलोकन का अपवर्जन • न्यायिक पुनरीक्षण • पुनरीक्षण की आवश्यक शर्तें • सुझाव • निष्कर्ष	62-88
6.	**संदर्भ ग्रंथ सूची**	89-90

पर्यावरण संरक्षण में लोकहित वाद की भूमिका : एक विशलेषणात्मक अध्ययन

सत्र– 2021–22

लघु शोध प्रबंध

(एल.एम.एम. चतुर्थ सेमेस्टर के अनिवार्य लघुशोध प्रबंध के परीक्षा हेतु प्रस्तुत)

शोध निर्देशक :
डॉ. मिलेन्द्र सिंह
(सहा.प्राध्यापक विधि विभाग)

लघुशोधकर्ता :
मो0 जावेद
अनुक्रमांक–15480
नामांकन क्र.–AN-13/322

12/9/22

अध्ययन केन्द्र

राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय अम्बिकापुर , सरगुजा (छ0ग0)
संत गहिरा गुरू विश्वविद्यालय अम्बिकापुर से संबद्ध

प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि **मो0 जावेद** लघु शोध प्रतिवेदन जिसका विषय **पर्यावरण संरक्षण में लोकहित वाद की भूमिका : एक विशलेषणात्मक अध्ययन** विशेष निर्देशन एवं मार्गदर्शन में पूर्ण किया है। प्रस्तुत शोध – प्रबंध निर्देशक डॉ. मिलेन्द्र सिंह राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय अम्बिकापुर जिला सरगुजा छ0ग0 को अग्रेषित किया जाता है।

दिनांक :

स्थानः अम्बिकापुर

शोध निर्देशक :

डॉ. मिलेन्द्र सिंह
सहा. प्राध्यापक विधि विभाग)
राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर
महाविद्यालय अम्बिकापुर सरगुजा
(छ0ग0)

विषय-सूची

क्रमांक पृष्ठ

- लघु शोध प्रबंध का शीर्षक i
- सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजीनालिटी ii
- आभार iii
- आमुख iv - v
- विषय-सूची vi -ix
- संक्षेपाक्षर x
- वाद-सूची xi - xiv

अध्याय क्रं.	विषय – सूची	पृष्ठ सं.
1.	परिचय	2
1.1	पर्यावरण संरक्षण की परिभाषायें	7
1.2	पर्यावरण संरक्षण के प्रकार	7
1.3	ऐतिहासिक पृष्ठभूमि	8
1.4	वैश्विक स्तर पर पर्यावरण के मुद्दे	9
1.5	शोध पत्र का अवलोकन	12
1.6	उद्देश्य	15
1.7	परिकल्पना	16

1.8	अनुसंधान क्रियाविधि	17
2	भारत वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियत्रंण के विधायी प्रभाव	18-47
2.1	पर्यावरणीय विधि के संवैधानिक आधार	18
31	पर्यावरण सम्बधी विषयों का	19--20
2.1.1	केन्द्र एवं राज्यों के बीच विधायी वितरण	20-21
2.1.2	संघ सूची में वर्णित विषय	21-22
2.1.3	राज्य सूची में वर्णित विषय	22-23
2.1.4	समवर्ती सूची में पर्यावरण से सम्बन्धित वर्णित विषय	23-25
2.1.5	अनुच्छेद 253 और पर्यावरणीय विधान	26-27
2.1.6	भारत की अन्तर्राष्ट्रीय	27-28
2.1.7	पर्यावरणीय बाध्यताएँ पर्यावरण सम्बन्धी राज्य के नीति निर्देशक तत्व	28-29
2.1.8	राज्य की सहमती पर	29-34
2.1.9	पर्यावरणीय विधान	34-36
2.2	मूलाधिकार एंव पर्यावरण सरक्षण	36-38
2.3	पर्यावरण संरक्षण सम्बन्धी नागरिकों के मूल कर्तव्य	38-39
2.4	वायु (प्रदूषण, निवारण एंव नियंत्रण) अधिनियम 1981	39-40
2.5	मोटर यान अधिनियम, 1988	40-41
2.6	लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991	41-42
2.7	राष्ट्रीय पर्यावरण अधिकरण अधिनियम, 1995	42
2.8		43

2.9	परिसंकटमय पदार्थों का प्रबंधन	43
2.10	राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण अधिनियम, 1997	43
2.11	रसायन दुर्घटना (आपातकालीन आयोजन, तैयारी और	44
2.12	प्रत्युत्तर) नियमावली, 1996	44-46
2.13	परिसंकटमय अपशिष्ट प्रबंधन	47
2.14	ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन, 2000	48-83
3	जैव चिकित्सा अपशिष्ट नियमावली, 1998	48
3.1	जैव विविधता अधिनियम, 2002	48
3.2	राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 विधि आयोग के द्वारा पर्यावरण अदालतों की स्थापना	49
3.3	अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण	49-52
3.4	संबंधी प्रयास	52-54
3.5	मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा, 1948	54-55
3.6	सिविल एवं राजनितिक अधिकारों की प्रंसविंदा, 1966	55-58
3.7	आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारों की	58-59
3.8	प्रंसविंदा, 1966 स्टॉक होम सम्मेलन 1972	59-62
3.9	काकोयोक घोषणा, 1974	62-63
3.10	यूनेस्को का कार्यक्रम. 1977	63-64
3.11	ओजोन परत संरक्षण पर वियना अभिसमय, 1985	64-67
3.11.1	ब्रण्टलैड आयोग प्रतिवेदन, 1987	67-69
		70-76

3.11.2	पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, 1989	76-77
3.11.3	ओजोन परत संरक्षण पर हेलसिंकी घोषणा (1989)	77-78
3.12	पृथ्वी शिखर सम्मेलन, 1992	78-79
3.13	रियो घोषणा	79
3.14	एजेण्डा - 21	80
3.15	जैवकीय विविधता अभिसमय, 1992 यूरो मानक	81
3.16	वैश्विक पर्यावरणीय सुविधा क्योटो सम्मेलन, 1997	81-82
3.17	ब्युनोज एयर्स (Buenos Aires) प्रोटोकाल, 1998	82-83
3.18	हेग सम्मेलन, 2000	83
3.19	दिल्ली सम्मेलन 2002-COP 8	84-100
3.20	क्योटो प्रोटोकॉल 2005	84-100
4	बाली सम्मेलन - COP 13 बाली सम्मेलन, 2007 का महत्व	101-104
4.1	वायु प्रदूषण के क्षेत्र में भारतीय न्यायालयों की भूमिका	101-103
5	न्यायिक निर्णय	103-104
5.1	निष्कर्ष एवं सुझाव	105-109
5.2	निष्कर्ष	110 -
5.3	सुझाव	
	परिकल्पना परीक्षण	
	संदर्भ सूची	

भारत में श्वेतपोश अपराध के कारणः एक विधिक अध्ययन

सत्र- 2021- 2022

लघुशोध प्रबंध

मास्टर ऑफ लॉ (एल एल. एम चतुर्थ सेमेस्टर) की उपाधि हेतु प्रस्तुत

शोध निर्देशक

डॉ. मिलेन्द्र सिंह
सहायक प्राध्यापक
(विधि विभाग)

शोधकर्ता

पूजा
एल एल. एम. चतुर्थ सेमेस्टर
(विधि विभाग)
रोल नंबर - 15481
नामांकन क्रमांक - A-14/121

अनुसंधान केन्द्र
विधि विभाग

12/9/22

राजीव गाँधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
अम्बिकापुर,सरगुजा (छ.ग.)

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मैं पूजा आ0 स्वं.श्री श्यामनारायण लघुशोध प्रतिवेदन जिसका विषय ''भारत में श्वेतपोश अपराध के कारण ; एक विधिक अध्ययन'' है मेरे निर्देशन एवं मार्गदर्शन में पूर्ण किया गया है। यह लघुशोध कार्य, इनका मौलिक कार्य है।

लघुशोध निर्देशक

डॉ. मिलेन्द्र सिंह
सहायक प्राध्यापक (विधि विभाग)
राजीव गाँधी शासकीय स्नातकोत्तर
महाविद्यालय अम्बिकापुर सरगुजा(छ.ग.)

विषय सूची

भारत मे श्वेतपोश अपराध के कारण;एक विधिक अध्ययन।

अध्याय –01

1) भूमिका

अध्याय – 02

1) श्वेतपोश अपराध का एतिहासिक पृष्ठभूमि

2) श्वेतपोश अपराध का अर्थ

3) श्वेतपोश अपराध का परिभाषा

अध्याय – 03 भारत में श्वेतपोश अपराध के कारण, स्वरूप एवं क्षेत्र

1) श्वेतपोश आपराध को कारण

i) स्वार्थ वाद

ii) अपर्याप्त दण्ड

iii) न्यायिक पक्षपात

iv) जनता की सहानुभूति

v) जागरूकता का अभाव

vi) गोपनीयता

vii) भ्रष्टाचार

viii) बेरोगारी

ix) राजनीतिक कारण

x) भौतिकवादी मनोतृत्तियाँ

2) श्वेतपोश अपराध के स्वरूप

i) जमाखोरी

ii) कालाबाजारी

iii) मिलावटखोरी

3) श्वेतपोश अपराध के स्रोत

4) श्वेतपोश अपराध के प्रकार

i) बैंक धोखाधड़ी

ii) रिश्वत

iii) मनी लॉन्डिग

iv) पहचान की चोरी

5) श्वेतपोश अपराध के क्षेत्र

i) करो की चोरी

ii) विधि व्यवसाय

iii) अभियांत्रिकी व्यवसाय

iv) शिक्षा के क्षेत्र में सफेदपोश अपराध

v) व्यपार जगत के सफेदपोश अपराध

vi) चिकित्सा के क्षेत्र में सफेदपोश अपराध

6) श्वेतपोश अपराध का वर्गीकरण

i) तदर्थ सफेदपोश अपराध

ii) न्याय भंग या विश्वास भंग पर आधारित सफेदपोश अपराध

iii) उच्च– पद या स्तरीय व्यवियो द्वारा उनके पद से सम्बन्धित अनुषंगिक कार्यों के दौरान अपराध

iv) व्यापारिक गतिविधियों के अंग के रूप में कारित सफेदपोश अपराध

7) श्वेतपोश अपराधों संबंधी सदरलैण्ड के विचारों की आलोचना

8) श्वेतपोश अपराध और रूढ़िगत अपराधों में विभेद

9) आलोचनात्मक मूल्यांकन

अध्याय – 04

1) श्वेतपोश अपराध के रोकथाम के लिए राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय विधि

2) भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान : लोकपाल तथा लोकायुक्त अधिनियम ,2014

अध्याय – 05

1) श्वेतपोश आराध पर न्यायलीन दृष्टिकोण

अध्याय – 06 श्वेतपोश अपराध के सुझाव एवं निष्कर्ष

1) श्वेतपोश अपराध के सुझाव

2) श्वेतपोश अपराध के निष्कर्ष

" भारत में अनुसूचित जनजातियों की हितों का संरक्षण संवैधानिक एवं विधायी कदमों का विश्लेषणात्मक अध्ययन "

सत्र 2021-22

लघु शोध प्रबंध

मास्टर ऑफ़ लॉ (एल.एल.एम चतुर्थ सेमेस्टर) की उपाधि हेतु प्रस्तुत

शोध निर्देशक

श्री पंकज अहिरवार

सहायक प्राध्यापक

(विधि विभाग)

शोधकर्ता

रामसेवक राम

एल एल.एम. चतुर्थ सेमेस्टर

रोल नंबर – 15485

नामांकन नंबर – A-14/6465

©2022 RAMSEWAK RAM. All Right Reserved

12/9/22

अनुसंधान केंद्र

विधि विभाग

राजीव गांधी शा. स्ना. महा.वि. अंबिकापुर जिला सरगुजा छत्तीसगढ़

संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय अम्बिकापुर जिला - सरगुजा (छ.ग.)

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मैं रामसेवक राम आ0 श्री जोखन लघुशोध प्रतिवेदन जिसका विषय ''**भारत में अनुसूचित जनजातियों की हितो सरक्षण संवैधानिक एवं विधायी कदमो का विश्लेषणात्मक अध्ययन**'' है मेरे निर्देशन एवं मार्गदर्शन में पूर्ण किया गया है। यह लघुशोध कार्य, इनका मौलिक कार्य है।

लघुशोध निर्देशक

पंकज अरिवार
सहायक प्राध्यापक (विधि विभाग)
राजीव गाँधी शासकीय स्नातकोत्तर
महाविद्यालय अम्बिकापुर सरगुजा(छ.ग.)

अनुक्रमणिका

प्रस्तावन — पृष्ठ संख्या

अध्याय 1 — पृष्ठ संख्या 1-8

भारतीय समाज में जनजातियों की स्थिति

1. स्वतंत्रता के पश्चात जनजातियों की स्थिति |
2. अनुसूचित जनजाति की सामाजिक स्थिति |
3. अनुसूचित जनजाति का आर्थिक स्थिति |
4. अनुसूचित जनजाति की शैक्षि स्थिति |

अध्याय 2 — पृष्ठ संख्या 9-14

भारतीय संविधान एवं जनजाति

1. अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के क्षेत्रों का प्रशासन |
2. अनुसूचित क्षेत्रों का प्रकाशन पांचवी अनुसूची |
3. अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण में न्यायिक निर्णय|

अध्याय 3 — पृष्ठ संख्या 15-19

सामाजिक न्याय एवं अनुसूचित जनजाति

अध्याय 4 — पृष्ठ संख्या 20-24

अनुसूचित जनजाति के लिए कतिपय विशेष प्रावधान

1. अनुसूचित जनजातियों के भूमिघरो द्वारा अंतरण पर प्रतिबंध |
2. ऋण मुक्ति के लिए वैधानिक कदम |
3. केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही जनजातियों के लिए विभिन्न योजनाएं |

4. अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों के लिए उच्च स्तरीय शिक्षा योजना |
5. अनुसूचित जनजाति उपयोजना टी.एस.पी.
6. 12वीं पंचवर्षीय योजना में जनजातियों के लिए बजट का आवंटन|
7. केंद्र सरकार द्वारा स्टैंडअप योजना का शुभारंभ

अध्याय 5 पृष्ठ संख्या 25-38

अनुसूचित जनजातियों को सामाजिक उत्पीड़न के विरुद्ध संरक्षण

1. सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955
2. अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989
3. अत्याचारों के अपराधों के लिए दंड

अध्याय 6 पृष्ठ संख्या 39-57

अनुसूचित जनजातियों के हितों पर वन नीतियों का प्रभाव

1. ब्रिटिश उपनिवेश के पूर्व जनजाति की स्थिति
2. ब्रिटिश सरकार की वन नीतियों में जनजातियों की स्थिति
3. भारतीय वन अधिनियम 1927
4. आरक्षित वन क्षेत्र
    i. आरक्षित वन
    ii. ग्राम वन
    iii. संरक्षित वन
    iv. अपराधों को समन करने की शक्ति समन
5. स्वतंत्रता के बाद वन नीतियों और जनजातियां
    i. राष्ट्रीय वन नीति 1952
    ii. वन नीति पर निम्नलिखित पर जोर देकर वन नीति को प्रभावकारी बनाने का प्रयास किया गया 1952
    iii. वन नीति पर धेबर आयोग का मूल्यांकन 1952

iv. वनों और जनजातियों के बारे में बीके रॉय बर्मन समिति की रिपोर्ट
v. 1988 की नई राष्ट्रीय वन नीति और जनजातियों के अधिकार
vi. अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वनवासी वन अधिकार मान्यता अधिनियम 2006
vii. वनवासी कल्याण योजना हेतु भू उपलब्धी
viii. वन अधिकार एवं संबंधी विषयों की मान्यता पुनर्स्थापना एवं निहित करना
ix. वन अधिकार धारकों के कतिपय कर्तव्य

अध्याय 7 पृष्ठ संख्या 58-62

निष्कर्ष एवं सुझाव

i. निष्कर्ष
ii. सुझाव

संदर्भ ग्रन्थ सूची पृष्ठ संख्या 63-64

प्रकाशित शोध पत्र

वर्तमान परिदृश्य में मृत्युदंड के सन्दर्भ में भारतीय न्यायिक प्रणाली की सार्थकता एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

विधि विभाग

(लघु शोध प्रबंध)

सत्र 2021-22

(एल एल. एम .चतुर्थ सेमेस्टर के अनिवार्य लघुशोध प्रबंध के परीक्षा हेतु प्रस्तुत)

शोध निर्देशक :

पूनम सोनवानी

(सहा.प्राध्यापक)

विधि विभाग

लघुशोध कर्ता :

सत्यम कुमार गुप्ता

एल एल. एम. चतुर्थ सेमेस्टर

नामांकन क्रमांक – A-14/010334

रोल न. -15488

अध्ययन केन्द्र

राजीव गाँधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय अंबिकापुर सरगुजा (छ.ग.)

संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय अंबिकापुर से सम्बद्ध

प्रमाण -पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि **सत्यम कुमार गुप्ता** , एल एल. एम. (चतुर्थ सेमेस्टर) द्वारा लिखित प्रस्तुत लघु शोध कार्य **"वर्तमान परिदृश्य में मृत्युदंड के सन्दर्भ में भारतीय न्यायिक प्रणाली की सार्थकता एक विश्लेषणात्मक अध्ययन"** कृति है जिसे इन्होने मेरे निर्देशन में सतत अध्ययनरत रहकर संत गहिरा गुरु विश्विद्यालय से सम्बन्ध राजीव गाँधी स्नातकोत्तर महाविद्यालय अंबिकापुर की एल एल. एम. की परीक्षा 2021-22 हेतु अनिवार्य चतुर्थ प्रश्न -पत्र के रूप में प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।

स्थान-अम्बिकापुर

दिनाँक 09/09/22

Sonwani

शोध निर्देशक :

पूनम सोनवानी

(सहा. प्राध्यापक)

विधि विभाग

राजीव गाँधी शासकीय स्नातकोत्तर

महाविद्यालय अंबिकापुर सरगुजा छ.ग.

अनुक्रमाणिका

अध्याय क्र.	विषय सूची	पृष्ठ सं.
1	**प्रस्तावना**	1-11
1.1	विषय परिचय	2-6
1.2	शोध परिकल्पना	6-7
1.3	साहित्य का पुनरवलोकन	7-8
1.4	शोध समस्या की पहचान तथा शोध प्रश्न का निर्धारण	8
1.5	अध्ययन के उदेश्य	8-9
1.6	शोध पद्धति	9
1.7	शोध की कार्यवधि	9-10
1.8	शोध की उपयोगिता	10
1.9	शोध अध्याय	11
2	**भारत में मृत्युदंड के इतिहास का अध्ययन**	**12-24**
2.1	संविधान पूर्व इतिहास और संविधान सभा विचार विमर्श	13-14
2.2	विधायी पृष्ठभूमि	14-16
2.3	विधि आयोग की पूर्व रिपोर्ट	16-17
2.4	भारत में मृत्युदंड कि संवैधानिकता	18-23
3	**मृत्युदंड के सम्बन्ध में अंतराष्ट्रीय विधि का अध्ययन**	**24-48**
3.1	अंतराष्ट्रीय सिविल और राजनितिक अधिकार सम्बन्धी प्रसंविदा	25-26
3.2	मृत्यदंड समाप्त करने का उदेश्य रखते हुए अंतराष्ट्रीय सिवील और राजनितिक अधिकार प्रसंविदा का दूसरा वैकल्पिक	27

	प्रोटोकॉल	
3.3	बालक के अधिकार पर कन्वेंशन	27-28
3.4	यातना और क्रूरता ,अमानवीय	28
3.5	भारतीय विधि में अंतराष्ट्रीय संधि बाध्यताए	29
3.6	अंतराष्ट्रीय विधि में मृत्युदंड से सम्बंधित रक्षोपाय	30-34
3.7	संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद्	34
3.8	मृत्यदंड और प्रत्यर्पण की विधि	34-35
3.9	मृत्यदंड पर अंतराष्ट्रीय रुझान	35-48
4	**मृत्युदंड के सम्बन्ध में भारत में विधि का अध्ययन**	**49-65**
4.1	परिचय	50-51
4.2	मृत्युदंड समाप्त करने के पक्ष में तर्क	51-53
4.3	भारत में मृत्युदंड की व्यवस्था	53-62
4.4	आजीवन कारावास	63
4.5	निर्वासन	63-64
4.6	मृत्युदंड का लघुकरण	65
5	मृत्युदंड पर न्यायिक दृष्टिकोण का अध्ययन	66-74
6	**निष्कर्ष एवं सुझाव**	**75 - 80**
संदर्भ ग्रन्थ सूची		**81-83**

मोटर दुर्घटना अधिनियम 1988 के अंतर्गत , दुर्घटना पीड़ित को प्राप्त सहायता : एक विधिक अध्ययन

विधि विभाग

(लघु शोध प्रबंध)

सत्र 2021-22

(एल एल. एम .चतुर्थ सेमेस्टर के अनिवार्य लघुशोध प्रबंध के परीक्षा हेतु प्रस्तुत)

शोध निर्देशक :

पूनम सोनवानी

(सहा.प्राध्यापक विधि विभाग)

लघुशोध कर्ता :

सुरेश कुमार

एल एल. एम. चतुर्थ सेमेस्टर

नामांकन क्रमांक – A-13/557

रोल न. -15489

अध्ययन केन्द्र

राजीव गाँधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय अंबिकापुर सरगुजा (छ.ग.)

संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय अंबिकापुर से सम्बद्ध

प्रमाण -पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि **सुरेश कुमार** , एल एल. एम. (चतुर्थ सेमेस्टर) द्वारा लिखित प्रस्तुत लघु शोध कार्य **"मोटर दुर्घटना अधिनियम 1988 के अंतर्गत , दुर्घटना पीड़ित को प्राप्त सहायता : एक विधिक अध्ययन"** कृति है जिसे इन्होने मेरे निर्देशन में सतत अध्ययनरत रहकर संत गहिरा गुरु विश्विद्यालय से सम्बन्ध राजीव गाँधी स्नातकोत्तर महाविद्यालय अंबिकापुर की एल एल. एम. की परीक्षा 2021-22 हेतु अनिवार्य चतुर्थ प्रश्न -पत्र के रूप में प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।

स्थान-अम्बिकापुर

दिनाँक

31/08/22

शोध निर्देशक :

पूनम सोनवानी

(सहा. प्राध्यापक विधि विभाग)

राजीव गाँधी शासकीय स्नातकोत्तर

महाविद्यालय अंबिकापुर सरगुजा छ. ग.

अनुक्रमाणिका

अध्याय क्र.	विषय सूची	पृष्ठ सं.
1	**प्रस्तावना**	1-10
1.1	प्रस्तावना	2-5
1.2	शोध समस्या की पहचान तथा शोध प्रश्न का निर्धारण	6
1.3	शोध परिकल्पना	6
1.4	साहित्य का पुनरवलोकन	7
1.5	शोध के उदेश्य	7-8
1.6	शोध पद्धति	8-9
1.7	शोध की उपयोगिता	9
1.8	शोध की रुपरेखा	9-10
2	**मोटर दुर्घटना के कारण एवं प्रयास**	**11-27**
2.1	मोटर दुर्घटना से अभिप्राय	**12-13**
2.2	संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ	**13**
2.3	मोटर वाहन अधिनियम	**13**
2.4	मोटर वाहन अधिनियम के उद्देश्य	**14-15**
2.5	सडक दुर्घटना और भारत	**15-16**
2.6	दुर्घटना के कारण	**16-22**
2.7	दुर्घटना के प्रकार	**26-25**
2.8	दुर्घटनाओ की रोकथाम	**25**
2.9	मोटर दुर्घटना होने पर सावधानिया	**25-27**

3	**मोटर दुर्घटना पर राष्ट्रीय तथा अंतराष्ट्रीय स्तर पर उपलब्ध विधियाँ एवं दण्डात्मक प्रावधान**	**28-47**
3.1	मोटर दुर्घटना अधिनियम ,1988	29-40
3.2	भारत में मोटर दुर्घटना	40-41
3.3	भारत में मोटर दुर्घटना स्पष्टीकरण	41-42
3.4	न्यायलय में पिटीशन दायर करने के लिए आवश्यक दस्तावेज	42-43
3.5	पिटीशन दायर करने का दायरा	43-44
3.6	वाहन मालिक के विरुध्द पिटीशन	44
3.7	पिटीशन दायर करने की तिथि	45
3.8	लोक अदालत में मोटर दुर्घटना दावों का सुलह द्वारा निस्तारण	45-46
3.9	मोटर वाहन अधिनियम के तहत दण्डात्मक प्रावधान	46-47
4	**भारत में मोटर दुर्घटना के सम्बन्ध में पीड़ित को उपलब्ध सहायता**	**48-60**
5	**भारत में मोटर दुर्घटना पर न्यायिक दृष्टीकोण**	**61-68**
6	**निष्कर्ष एवं सुझाव**	**69-71**
7	**संदर्भ सूची**	**72-74**

भारत में बाल अपराध के कारण एवं निवारण : एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

विधि विभाग

(लघु शोध प्रबंध)

सत्र 2021-22

(एल एल. एम .चतुर्थ सेमेस्टर के अनिवार्य लघुशोध प्रबंध के परीक्षा हेतु प्रस्तुत)

शोध निर्देशक :

श्री ब्रजेश कुमार

(सहा.प्राध्यापक विधि विभाग)

लघुशोध कर्ता :

दीपमाला धुर्वे

एल एल. एम. चतुर्थ सेमेस्टर

नामांकन क्रमांक – AN-13/181

12/9/22

अध्ययन केन्द्र

राजीव गाँधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय अंबिकापुर सरगुजा (छ.ग.)

संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय अंबिकापुर से सम्बद्ध

प्रमाण -पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि **दीपमाला धुर्वे** , एल एल. एम. (चतुर्थ सेमेस्टर) द्वारा लिखित प्रस्तुत लघु शोध कार्य **"भारत में बाल अपराध के कारण एवं निवारण : एक विश्लेषणात्मक अध्ययन "** कृति है जिसे इन्होने मेरे निर्देशन में सतत अध्ययनरत रहकर संत गहिरा गुरु विश्विद्यालय से सम्बन्ध राजीव गाँधी स्नातकोत्तर महाविद्यालय अंबिकापुर की एल एल. एम. की परीक्षा 2021-22 हेतु अनिवार्य चतुर्थ प्रश्न -पत्र के रूप में प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।

स्थान-अम्बिकापुर

दिनाँक 18.8.22

शोध निर्देशक :
श्री ब्रजेश कुमार
(सहा. प्राध्यापक विधि विभाग)
राजीव गाँधी शासकीय स्नातकोत्तर
महाविद्यालय अंबिकापुर सरगुजा छ. ग.

अनुक्रमाणिका

अध्याय क्र.	विषय सूची	पृष्ठ सं.
1	**प्रस्तावना**	**1-10**
1.1	विषय परिचय	2-6
1.2	शोध परिकल्पना	6
1.3	साहित्य का पुनरवलोकन	6-7
1.4	शोध समस्या की पहचान तथा शोध प्रश्न का निर्धारण	7
1.5	अध्ययन के उदेश्य	7-8
1.6	शोध पद्धति	8-9
1.7	शोध की कार्यवधि	9
1.8	शोध की उपयोगिता	9-10
1.9	शोध अध्याय	10
2	**भारत में बाल अपराध एवं कारण**	**11-28**
2.1	बाल अपराध	12
2.2	परिभाषा	12-13
2.3	बाल अपराध के लक्षण	13-14
2.4	बाल अपराध कि विशेषताये	14
2.5	बाल अपराध के प्रकार	14-15
2.6	बाल अपराध के कारण	15-18
2.7	बाल अपराध कारण और निदान	18-19
2.8	कारण और स्वरूप	19-24
2.9	निदान के उपाये	24-26

2.10	पुलिस की महत्वपूर्ण भूमिका बनाम जन सहयोग	26-27
2.11	जन सहयोग की बाधाये	27-28
3	**बाल अपराध एवं अंतराष्ट्रीय विधि**	**29-46**
3.1	सामान्य परिचय	30
3.2	किशोर की परिभाषा एवं अधिकार	31-32
3.3	बाल अधिकारों पर सम्मेलन	32-33
3.4	अंतराष्ट्रीय अपराधिक न्यायालय और बच्चो के अधिकार	34-36
3.5	वैश्विक मानक और सांस्कृतिक सापेक्षवाद	36
3.6	स्टेटस पार्टी और हस्ताक्षरकर्ता	36-45
3.7	वैकल्पिक प्रोटोकॉल	45
3.8	माता पिता के अधिकार	45-46
4	**बाल अपराध रोकने हेतु भारत में विधि का अध्ययन**	**47-84**
4.1	राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग	48
4.2	किशोर न्याय का इतिहास	48-54
4.3	जनादेश	54-56
4.4	संरचना	56-57
4.5	शक्तिया	57-58
4.6	बाल श्रम उन्मूलन हेतु न्यायपालिका	58-60
4.7	बच्चो के अधिकार पत्र	63
4.8	बाल अधिकारों के महत्वपूर्ण संरक्षण के रूप में पंचायत	63-65
4.9	पुनर्वास पैकेजो में बाल अधिकारों को शामिल	65-67
4.10	बाल श्रम उन्मूलन के लिए दिशा निर्देश	67-69
4.11	शारीरिक दंड पर प्रतिबंध	69-71

4.12	किशोर न्यायबोर्ड की भूमिका	71-75
4.13	किशोर न्याय अधिनियम 1986	75-76
4.14	किशोर न्याय अधिनियम 2000	76-77
4.15	किशोर न्याय अधिनियम 2015	77-80
4.16	यौन शोषण से बच्चो की सुरक्षा का अधिनियम 2012	80-85
4.17	बालक एवं किशोर श्रम अधिनियम 1986	86
4.18	बच्चो से सम्बंधित भारतीय दंड संहिता की धाराये	86-87
4.19	बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006	87-88
4.20	किशोर न्याय अधिनियम 2015	88
5	**बाल अपराध पर न्यायिक दृष्टिकोण**	89-105
6	**निष्कर्ष एवं सुझाव**	106-109
संदर्भ ग्रन्थ सूची		110-112

भारत में आर्थिक अपराध से सम्बंधित कानून में पुलिस की भूमिका एक विधिक अध्ययन

विधि विभाग

(लघु शोध प्रबंध)

सत्र 2021-22

(एल एल. एम .चतुर्थ सेमेस्टर के अनिवार्य लघुशोध प्रबंध के परीक्षा हेतु प्रस्तुत)

शोध निर्देशक :

पूनम सोनवानी

(सहा.प्राध्यापक विधि विभाग)

लघुशोध कर्ता :

विमल सिंह

एल एल. एम. चतुर्थ सेमेस्टर

नामांकन क्रमांक – A-12/760

रोल न. -15490

अध्ययन केन्द्र

राजीव गाँधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय अंबिकापुर सरगुजा (छ.ग.)

संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय अंबिकापुर से सम्बद्ध

प्रमाण -पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि **विमल सिंह** , एल एल. एम. (चतुर्थ सेमेस्टर) द्वारा लिखित प्रस्तुत लघु शोध कार्य **"भारत में आर्थिक अपराध से सम्बंधित कानून में पुलिस की भूमिका एक विधिक अध्ययन"** कृति है जिसे इन्होने मेरे निर्देशन में सतत अध्ययनरत रहकर संत गहिरा गुरु विश्विद्यालय से सम्बन्ध राजीव गाँधी स्नातकोत्तर महाविद्यालय अंबिकापुर की एल एल. एम. की परीक्षा 2021-22 हेतु अनिवार्य चतुर्थ प्रश्न -पत्र के रूप में प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।

स्थान-अम्बिकापुर

दिनाँक 31/08/2022

Poonam Sonbani 31/08/22

शोध निर्देशक :

पूनम सोनवानी

(सहा. प्राध्यापक विधि विभाग)

राजीव गाँधी शासकीय स्नातकोत्तर

महाविद्यालय अंबिकापुर सरगुजा छ. ग.

अनुक्रमाणिका

अध्याय क्र.	विषय सूची	पृष्ठ सं.
1	**प्रस्तावना**	**1-12**
1.1	विषय परिचय	2-9
1.2	शोध परिकल्पना	9
1.3	साहित्य का पुनरवलोकन	9-10
1.4	शोध समस्या की पहचान तथा शोध प्रश्न का निर्धारण	10
1.5	अध्ययन के उदेश्य	10-11
1.6	शोध पद्धति	11
1.7	शोध की कार्यवधि	11
1.8	शोध की उपयोगिता	11-12
1.9	शोध अध्याय	12
2	**भारत में आर्थिक अपराध के प्रकार का अध्ययन**	**13-19**
2.1	सामान्य परिचय	14
2.2	आर्थिक अपराधो के प्रकार	14-15
2.3	अपराध के तीन मुख्य आर्थिक मॉडल	16-19

3	भारत में आर्थिक अपराधो से सम्बंधित कानून का अध्ययन	20-45
3.1	सामान्य परिचय	21
3.2	आपराधिक न्यासभंग	21-33
3.3	छल करना	33-39
3.4	जालसाजी	39-42
3.5	कूटकरण	42-45
4	भारत में आर्थिक अपराध एवं अन्य प्रवर्तन प्राधिकरण का अध्ययन	46-53
4.1	परिचय	47
4.2	केन्द्रीय प्रत्यक्ष	47-48
4.3	प्रवर्तन निदेशालय	48
4.4	केंद्रीय उत्पाद सीमा शुल्क बोर्ड एवं राजस्व निदेशालय	49-50
4.5	भारत का आर्थिक परिद्रश्य	51
4.6	केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो	52
4.7	आर्थिक सुचना परिषद्	52-53
5	भारत में आर्थिक अपराधो से निपटने के लिए पुलिस की भूमिका का अध्ययन	53-65
6	निष्कर्ष एवं सुझाव	66-69
संदर्भ ग्रन्थ सूची		70-72

भारत में जल प्रदुषण का दुष्प्रभाव,निवारण एवं नियंत्रण के संदर्भ में विधिक अध्ययन

विधि विभाग

(लघु शोध प्रबंध)

सत्र 2021-22

(एल एल. एम .चतुर्थ सेमेस्टर के अनिवार्य लघुशोध प्रबंध के परीक्षा हेतु प्रस्तुत)

शोध निर्देशक :

पूनम सोनवानी

(सहा.प्राध्यापक विधि विभाग)

लघुशोध कर्ता :

सरिता

एल एल. एम. चतुर्थ सेमेस्टर

नामांकन क्रमांक – A-13/1018

रोल न. -15487

12/9/22

अध्ययन केन्द्र

राजीव गाँधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय अंबिकापुर सरगुजा (छ.ग.)

संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय अंबिकापुर से सम्बद्ध

प्रमाण -पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि **सरिता** , एल एल. एम. (चतुर्थ सेमेस्टर) द्वारा लिखित प्रस्तुत लघु शोध कार्य **"भारत में जल प्रदुषण का दुष्प्रभाव,निवारण एवं नियंत्रण के संदर्भ में विधिक अध्ययन"** कृति है जिसे इन्होने मेरे निर्देशन में सतत अध्ययनरत रहकर संत गहिरा गुरु विश्विद्यालय से सम्बन्ध राजीव गाँधी स्नातकोत्तर महाविद्यालय अंबिकापुर की एल एल. एम. की परीक्षा 2021-22 हेतु अनिवार्य चतुर्थ प्रश्न -पत्र के रूप में प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।

स्थान-अम्बिकापुर

दिनाँक 22/8/22

Sonwani

शोध निर्देशक :

पूनम सोनवानी

(सहा. प्राध्यापक विधि विभाग)

राजीव गाँधी शासकीय स्नातकोत्तर

महाविद्यालय अंबिकापुर सरगुजा छ.ग.

अनुक्रमाणिका

अध्याय क्र.	विषय सूची	पृष्ठ सं.
1	**प्रस्तावना**	**1-11**
1.1	विषय परिचय	2-5
1.2	जल प्रदुषण की परिभाषा	5
1.3	शोध परिकल्पना	6
1.4	साहित्य का पुनरावलोकन	6-7
1.5	शोध समस्या की पहचान तथा शोध प्रश्न का निर्धारण	8
1.6	अध्ययन के उदेश्य	8
1.7	शोध पद्धति	8-9
1.8	शोध की कार्यावधि	9
1.9	शोध की उपयोगिता	9-10
1.10	शोध अध्याय	10-11
2	**जल प्रदूषण की अवधारणा एवं एतिहासिक पृष्ठभूमि का अध्ययन**	**12-22**
2.1	जल प्रदुषण	13-14
2.2	परिभाषा	14-17
2.3	जल प्रदूपको के प्रकार	17-20
2.4	ऐतिहासिक पृष्भूमि	20-22
3	**जल प्रदूषण के कारण एवं स्त्रोत का अध्ययन**	**23-29**
3.1	सामान्य परिचय	24
3.2	जल प्रदुषण के स्त्रोत अथवा कारण	24-28

3.3	प्रदुषण के अन्य कारण	28-29
4	**भारत में भ्रस्टाचार को रोकने के लिए विधायी एवं संस्थागत उपाय का अध्ययन**	**30-42**
4.1	जल प्रदुषण के प्रभाव	31-34
4.2	मानव स्वास्थ पर प्रभाव	34-35
4.3	आर्थिक प्रभाव	35
4.4	जल प्रदुषण का नियंत्रण	35-37
4.5	भूमिगत जल प्रदूषण का प्रभाव	37
4.6	जल गुणवत्ता को सुधारना	37-38
4.7	जल प्रदुषण पर नियन्त्रण के लिए सरकारी प्रयास	38
4.8	गंगा एक्सन प्लान	39-40
4.9	नलीय पारिस्थितिकी प्रणाली के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय योजना	40
4.10	जल प्रदुषण नियंत्रण एवं रोकथाम अधिनियम 1974	40
4.11	केन्द्रीय प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड के कार्य	40-41
4.12	नमामि गंगे कार्यक्रम	41-42
5	**जल प्रदुषण के समस्याओ के समाधान हेतु विधिक प्रावधान का अध्ययन**	**43-80**
6	**निष्कर्ष एवं सुझाव**	**81-85**
संदर्भ ग्रन्थ सूची		**86-88**

भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रा का विशेषणात्मक अध्ययनः प्रेस की स्वतंत्रा क विशेष संदर्भ में

सत्र– 2021–22

लघु शोध प्रबंध

(एल.एम.एम. चतुर्थ सेमेस्टर के अनिवार्य लघुशोध प्रबंध के परीक्षा हेतु प्रस्तुत)

शोध निर्देशक :
डॉ. मिलेन्द्र सिंह
(सहा.प्राध्यापक विधि विभाग)

लघुशोधकर्ता :
मनोज कुमार खुटियाले
अनुक्रमांक–15479
नामांकन क्र.–AN-13/321

12/9/22

अध्ययन केन्द्र

राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय अम्बिकापुर , सरगुजा (छ0ग0)
संत गहिरा गुरू विश्वविद्यालय अम्बिकापुर से सम्बद्ध

प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि **मनोज कुमार खुटियाले** लघु शोध प्रतिवेदन जिसका विषय **भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रा का विशेषणात्मक अध्ययनः प्रेस की स्वतंत्रा क विशेष संदर्भ** मेंविशेष निर्देशन एवं मार्गदर्शन में पूर्ण किया है। प्रस्तुत शोध – प्रबंध निर्देशक डॉ. मिलेन्द्र सिंह राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय अम्बिकापुर जिला सरगुजा छ0ग0 को अग्रेषित किया जाता है।

दिनांक :

स्थानः अम्बिकापुर

शोध निर्देशक :

डॉ. मिलेन्द्र सिंह
सहा. प्राध्यापक विधि विभाग)
राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर
महाविद्यालय अम्बिकापुर सरगुजा
(छ0ग0)

भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रा का विशेषणात्मक अध्ययनः प्रेस की स्वतंत्रा के लिए संदर्भ में

विषय सूची

अध्याय –1

प्रस्तावना

पृष्ठ क्रमांक

(1–12)

1.1 – प्रस्तावना 1

1.2 – शोध विधि 9

अध्याय –2

भारत में प्रेस की स्वतंत्रता

2.1– प्रेस की स्वतंत्रता का अर्थ एवं महत्व 13

2.2 – प्रेस की स्वतंत्रता हेतु संवैधानिक उपबंध 21

2.3– प्रेस का समाज पर पड़ने वाला सकारात्मक एंव नकारात्मक प्रभाव 25

2.4– प्रेस की स्वतंत्रता का भारत में स्थिति 31

अध्याय – 3

भारत में संसदीय विशेषाधिकार की अवधारणा

3.1 – संसदीय विशेषाधिकार अर्थ 41

3.2 – संसदीय विशेषाधिकार का संवैधानिक उपबंध 45

3.3– संसदीय विशेषाधिकार के प्रकार 48

3.4– संसदीय विशेषाधिकार का महत्व 50

3.5 – संसद के सदस्यों को प्राप्त विशेषाधिकार का दुरूपयोग 54

अध्याय –4

संसदीय विशेषाधिकार एवं प्रेस की स्वतंत्रता पर सर्वोच्च न्यायालय का दृष्टिकोण

4.1–प्रेस की स्वतंत्रता के सन्दर्भ में 58

4.2– संसदीय विशेषाधिकार के संदर्भ में 70

अध्याय – 5

भारतीय सवंधिान में संसदीय विशेषाधिकार एवं संसदीय विशेषाधिकार का संबंध

5.1. – संसद और प्रेस का संबंध 75

5.2– विशेषाधिकार और प्रेस की स्वतंत्रता 82

5.3– संबंधों का मूल्यांकन 87

अध्याय – 6

निष्कर्ष एवं सुझाव

निष्कर्ष एवं सुझाव 92

STUDY OF ARBITRATION LAW AND PRACTICES IN INDIA IN REFERENCE TO DEVELOPMENTS AND INPACT OF GLOBALIZATION

DISSERTATION

SUBMITTED IN PARTIAL FULFILMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE OF

MASTERS OF LAWS

(2021-22)

Under the Supervision of
Shri Brajesh Kumar
H.O.D.
Department of Law

Submitted By
Rekha Vishwakarma
Roll No : 2902302
Enroll No : S-11/117

Department of Law
RAJEEV GANDHI GOVERNMENT PG COLLEGE
AMBIKAPUR :: CHHATTISGARH

DEPARTMENT OF LAW

Rajeev Gandhi Government PG College,
AMBIKAPUR ::CHHATTISGARH

CERTIFICATE

Certified that the dissertation work entitled 'STUDY OF ARBITRATION LAW AND PRACTICES IN INDIA IN REFERENCE TO DEVELOPMENTS AND INPACT OF GLOBALIZATION' submitted by Miss. Rekha Vishwakarma is an original work and has not been previously submitted in part or full for any other degree or diploma in this or to any other university, as declared by the candidate. The dissertation work submitted to **Rajeev Gandhi Government PG College, Ambikapur** is, as fulfillment of the requirements, fit for submission and evaluation for the award of the Master of Laws (LL.M.)

Date:
Place:

(Brajesh Kumar)
Supervisor

Contents

Chapter No 1 – Introduction	1-20
Chapter No 2 – Genesis Of Arbitration Law In India	20-53
Chapter No 3 - Arbitration and Resolution of Intellectual Property Rights Disputes	54-65
Chapter No 4 – Conduct of Arbitration	66-74
Chapter No 5 – Award and Other Decision	75-81
Chapter No 6 – Confidentiality	82-100
Chapter No 7 - Fundamental Problems Of International Ip Disputes	101-103
Chapter No 8 - Various Case Studies	104-150
Chapter No 9 – Conclusion & Suggestion	151-174
Bibliography	

भारत में परिवारिक विधियों के अन्तर्गत महिलाओं की स्थिति : एक विधिक अध्ययन

सत्र– 2021–22

लघु शोध प्रबंध

(एल एल.एम. चतुर्थ सेमेस्टर के अनिवार्य लघुशोध प्रबंध के परीक्षा हेतु प्रस्तुत)

शोध निदेशक :
श्री माधवेन्द्र तिवारी
(सहा.प्राध्यापक विधि विभाग)

लघुशोधकर्ता :
ईश्वरी तिग्गा
अनुक्रमांक–15475
नामांकन क्र.– H-14/58

अध्ययन केन्द्र

राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय अम्बिकापुर , सरगुजा (छ0ग0)
संत गहिरा गुरू विश्वविद्यालय अम्बिकापुर से सम्बद्ध

12/04/22

प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि ईश्वरी तिग्गा लघु शोध प्रतिवेदन जिसका विषय " **भारत में परिवारिक विधियों के अन्तर्गत महिलाओं की स्थिति : एक विधिक अध्ययन** " विशेष निर्देशन एवं मार्गदर्शन में पूर्ण किया है। प्रस्तुत शोध – प्रबंध ईश्वरी तिग्गा राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय अम्बिकापुर जिला सरगुजा छ0ग0 को अग्रेषित किया जाता है।

दिनांक :

स्थानः अम्बिकापुर

शोध निर्देशक :

श्री माधवेन्द्र तिवारी
सहा. प्राध्यापक विधि विभाग)
राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर
महाविद्यालय अम्बिकापुर सरगुजा
(छ0ग0)

स.क्र.	विषय सूची	पृष्ठ सं.
1.	अध्याय – 1 भूमिका • भूमिका • साहित्य का पुनावलोकन • शोध समस्या की पहचान तथा शोध प्रश्न का निर्धारण – • शोध का उददेश्य • शोध परिकल्पना • शोध रूपरेखा	1–7
2.	अध्याय – 2 *भारतीय महिला का प्राचीन इतिहास से वर्तमान तक कि स्थिति का अध्ययन* • भारतीय इतिहास में महिलाओं की स्थिति • प्राचीन भारत में महिलओं की स्थिति • प्राचीन समय से आज वर्तमान समय में महिलाओं की स्थिति एवं अधिकार • लोकतांत्रिक सरकार में महिलाओं की भागीदार • भारत में महिलाओं के विरासत • सुधार लागू होने से कन्या भ्रूण–हत्या में गति आई • लचीले सामाजिक मानदंडों की भूमिका • प्राचीन धर्मग्रंथों के अनुसार महिलाओं की स्थिति	8–16
3.	अध्याय – 3 *हिन्दू विधियों के अंतर्गत महिलाओं की स्थिति* • महिलाओं के अधिकार • स्त्रियों को संपत्ति का अधिकार	17–35
4.	अध्याय – 4 *मुस्लिम विधियों के अंतर्गत महिलाओं की स्थिति* • भारत में मुस्लिम महिलाओं के अधिकार विश्लेषण • मुस्लिम विरासत कानून • मुस्लिम महिलाएं और विरासत • मुस्लिम विधवाओं के संपत्ति अधिकार • मुस्लिम महिला और महरी पर उसका अधिकार • मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम, 1939 एवं मुस्लिम स्त्री • तलाक के बाद मुस्लिम महिला के संपत्ति अधिकार	36–44

	• अपने बच्चों की संपत्ति पर मुस्लिम महिला का अधिकार • एक मुसलमान की विरासत में वसीयत की भूमिका नियमों • मुस्लिम महिला को अपने गर्भ में बच्चे के लिए संपत्ति का अधिकार	
5.	अध्याय – 5 *भारत में महिला की स्थिति पर न्यायिक दृष्टिकोण* • भारत में महिला की स्थिति पर न्यायिक दृष्टिकोण • भारतीय हिन्दू महिला अपने संपत्ति को अपने पिता के परिवार को दे सकती है (सुप्रीम कोर्ट का फैसला)संशोधन • सुप्रीम कोर्ट ने हिन्दू उत्तराधिकार कानून की धारा 15.1 डी की व्याख्या की • संशोधन	45–55
6.	अध्याय – 6 *भारत में महिलाओं की स्थिति एवं विधिक अधिकार विभिन्न धर्मों में* • भारत में उत्तराधिकार का विधिक अधिकार • विभिन्न धर्मो में उत्तराधिकार का विधिक अधिकार 1. हिन्दू विधि 2. मुस्लिम विधि 3. ईसाई विधि 4. अन्य	56–67
	अध्याय – 6 निष्कर्ष एवं सुझाव	68–72
	संदर्भ ग्रंथ सूची	73–75